10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(112)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ पुनराविलोकन (रिव्यु)
रिव्यु - 1979 - I-16

१- श्रीमती रामकली पत्नी स्व० सियाराम,
२- कमला पत्नी बनवारी पुत्री स्व० सियाराम,
३- विमला पत्नी जगदीश पुत्री सियाराम,
तीनों निवासीगण नाहरचौकी तहसील जौरा,
जिला मुरैना (म०प्र०) ।

श्री एस०के० अवस्थी एड. द्वारा आज दि. 21-6-16 को प्रस्तुत
21-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

४- अशोक पुत्र स्व० सियाराम,
५- जगदीश पुत्र स्व० सियाराम,
६- सत्य प्रकाश पुत्र स्व० सियाराम,
निवासीगण ग्राम हड़वासी, तहसील जौरा,
जिला मुरैना (म०प्र०) ।

-------- प्रार्थीगण

विरुध्द

१- पुनीतराम पुत्र स्व० रामदीन ब्राह्मण,
निवासी ग्राम हड़वासी, तहसील जौरा,
जिला मुरैना (म०प्र०)

-----असल प्रतिप्रार्थी

२- कल्लो उर्फ कलिया पत्नी फौजराम पुत्री सियाराम, निवासी ग्राम गंजरामपुर, तहसील व जिला मुरैना (म०प्र०) ।

-----तरतीवी प्रतिप्रार्थी

अवस्थी 21/6/16

पुनराविलोकन आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (पीठासीन-माननीय श्री एम०के० सिंह सदस्य) दिनांक १८-०२-१६। प्र०क्र० ६०२२-एक/१६ विविध एवं प्र०क्र० ३०-चार/०१ निगरानी में पारित आदेश दिनांक ८-१०-१५ ।

श्रीमान जी,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक पुनर्वालोकन 1979–एक/2016 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
18–7–18	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 30–चार/2001 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 एवं विविध 9022–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 19.02.16 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक पुनर्वालोकन 1979–एक/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 30–चार/2001 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 एवं विविध 9022–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 19.02.16 से वर्णित किया जा चुका है।	

4–प्र0 क0 1979–एक/2016 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नावलोकन में जो आधार बताये गये हैं। प्रकरण कमांक पुनर्वालोकन 1979–एक/2016 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य